ऑन लाईन नं.RCMS2023/68

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती रीना, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं० 39/2023

श्री जीत सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. श्री राजन पुत्र श्री अर्जुन —खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक—

मै० राजन टी स्टाल, बस स्टैण्ड, श्रीगंगानगर।

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा

एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/51

निर्णय **दिनांक : 20.12.2024**

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी श्री जीत सिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी, का गजट नोटिफिकेशन दिनांक 26.07.2011 के गजट में भाग 2(क) पर प्रकाशित हुआ है एवं संशोधित गजट नोटिफिकेशन दिनांक 25.08.2011 को प्रकाशित कर दिया गया । व परिवादी का पदस्थापन एवं कार्यक्षेत्र का आवंटन आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय राज. जयपुर के आदेश कमांक निदेशालय के आदेश कमांकः—खाद्य सुरक्षा/निदे0/2022/337 दिनांक 20.04.2022 के अनुसार जिला श्रीगंगानगर किया गया है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियां न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

आवदेक, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 09.12.2022 को 2.00 पी.एम. का **मै0 राजन टी स्टाल, बस स्टैण्ड, श्रीगंगानगर** पर पहुंचे। मौके पर विकेता श्री राजन पुत्र श्री अर्जुन को अपना परिचय देकर दुकान पर रखे **कलाकंद मिठाई (दूध चीनी से निर्मित)** के बारे में जानकारी चाही, इस पर विकेता ने स्वयं को दुकान का मालिक बताया तथा दुकान के अन्दर लगभग 10 किलो ग्राम वजनी **कलाकंद मिठाई (दूध चीनी से निर्मित)** को आमजन के बेचान वास्ते होना बताया। जिसमें मिलावट का शक होने पर विकेता से नमूना जांच वास्ते **कलाकंद मिठाई (दूध चीनी से निर्मित)** का नमुना लेने की इच्छा विकेता को फार्म नम्बर 5ए भरकर देते हुए वरवक्त की मौके पर ही विकेता को फार्म नम्बर 5ए भरकर दिया जिस पर विकेता व गवाहान ने और आवेदक ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म नम्बर 5 ए न्याय निर्णयन के साथ सलंग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विकय हेतु उपलब्ध **कलाकंद मिठाई (दूध चीनी से निर्मित)** में से 2 किलोग्राम विकेता से खरीद कर लिया। विकेता को मौके पर ही उक्त कयशुदा **कलाकंद मिठाई (दूध चीनी से निर्मित)** का नगद भुगतान 460/— रूपये किया तथा कैशमीमो बनावाकर लिया जिस पर विकेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर है और आवेदक के भी हस्ताक्षर है। केशमीमो न्यायनिर्णय आवेदन के साथ सलंग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नम्बर 5ए की प्रतियां तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझकर हस्तक्षर करने को

अति० जिला कलेक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

कहा जिसे **श्री राजन** एवं गवाहान ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म से 5ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक **श्री राजन** को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। फार्म नम्बर 5ए मूल सलंग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 2 किलोग्राम **कलाकंद मिठाई (दूध चीनी से निर्मित)** को बराबर–बराबर भागों में बांटकर लिया। चारों पैकटों पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर **के कोड व कमांक के–1570** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा **के कोड व कमांक के–1570** नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आयें। चारों नमूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं के आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर फर्द मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे **श्री राजन** एवं गवाहान ने भी पढकर,समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये । फर्द रिपोर्ट मूल सलंग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं 06 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की और दो फार्म सं. 06 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की एवं शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की दो प्रतियों और चौथा भाग मय फार्म संख्या 6 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

रैफरेल फूड लैबोरेटरी, मैसूर–20 द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक FT/FSSA(82F)/2023 Dated 15-02-2023 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-1570 Sub-standard Food** होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त **श्री राजन पुत्र श्री अर्जुन, मै0 राजन टी स्टाल, बस स्टेण्ड, श्रीगंगानगर** द्वारा अमानक स्तर **कलाकंद मिठाई (दूध चीनी से निर्मित)** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 03.03.2023 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त के अधिवक्ता को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

अभियुक्त ने जरिए अधिवक्ता अपने जवाब में कथन किया कि माननीय न्यायालय द्वारा जारी उक्त नोटिस विधि विरूद्व न्यायनिर्णयन आवेदन के तथ्यों के विपरित तथ्यों के आधार पर जारी किया गया है। जो कि विधि विरूद्ध होने के कारण उक्त नोटिस व न्यायनिर्णयन आवेदन निरस्त किये जाने योग्य है। जबाबदाता की फर्म राजन पुत्र अर्जुन विक्रेता एवं मालिक मैसर्स राजन टी स्टाल, बस स्टैण्ड श्रीगंगानगर के विरूद्व माननीय न्यायालय में आवेदन पेश किया गया है, जबकि माननीय न्यायालय द्वारा जारी नोटिस मैसर्स राजन टी स्टाल जिला श्रीगंगानगर पर पहुंचे महावीर प्रसाद माहेश्वरी खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक की हैसियत से मौजद था एवं आम जनता को खाद्य पदार्थ कलाकंद मिठाई को विक्रय हेतु बताया। आपकी दुकान का निरीक्षण करने पर आपकी दुकान के अन्दर 500-500 मि.ली. के 170 पैक डिब्बे कलाकंद मिठाई आदि तथ्य अंकित करते हुए मिन जवाबदाता को जारी किया गया है जिसका नमूना मिन जबावदाता से एफएसओ द्वारा लिया ही नही गया था और उक्त तिथि को एफएसओ द्वारा मेरे परिसर का कोई निरीक्षण या नमूनीकरण किया गया है। उक्त नमूना नोटिस के तथ्यों के अनुसार महावीर प्रसाद माहेश्वरी से लिये जाने के आधार पर मुझे जारी किया गया है जबकि मै जो राजन पुत्र श्री अर्जुन हूँ। अतः उक्त जारी नोटिस के अंकित तथ्यों के अनुसार मिन जवाबदाता का नहीं होने के कारण विधि विरूद्व होने के कारण पोषणीय नहीं होने के कारण निरस्तणीय है। अतः नोटिस विधि विरूद्व जारी किये जाने के आधार पर निरस्त फरमाये जाने के आदेश पारित करने की कृपा करें।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **कलाकंद मिठाई (दूध चीनी से निर्मित)** का सैम्पल **K-1570** जांच रिपोर्ट क्रमांक FT/FSSA(82F)/2023 Dated 15-02-2023 द्वारा **Sub-standard Food** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लधन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने जवाब में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए कथन किया कि न्यायालय द्वारा जारी उक्त नोटिस न्यायनिर्णयन आवेदन के तथ्यों के आधारानुसार नहीं होने व अन्य तथ्यों के आधार पर जारी किए जाने के आधार पर ही खारिज किए जाने योग्य है। अतः उक्त नोटिस विधि विरूद्व जारी किए जाने के आधार पर निरस्त फरमाए जाने के आदेश पारित करने की कृपा करें।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of **“Kalakand Mithai(Made By Milk & Sugar) ” bearing Code No and Sr. No. K-1570 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is Sub-standard as it does not conform the standard laid down for prepared Food Article (Dairy-based desserts) under the general provision of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additive) Regulation, 2011** की जॉच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

फलस्वरूप अभियुक्त **श्री राजन पुत्र श्री अर्जुन, मै0 राजन टी स्टाल, बस स्टेण्ड, श्रीगंगानगर** को एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त **श्री राजन पुत्र श्री अर्जुन, मै0 राजन टी स्टाल, बस स्टेण्ड, श्रीगंगानगर** को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत राशि रूपये 10,000–00 (अखरे रूपये दस हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रीना)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा0)
श्रीगंगानगर

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर